

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 46/2025 बउनवानी डॉ.के.सी.तमारिया बनाम अति० जिला कलेक्टर स०मा० एवं निवासी 556 सैक्टर-4 आर.के.पुरम नई दिल्ली-110022 तहसीलदार सवाईमाधोपुर

GCMS No-2025/ 160

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
9.7.2025	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 28.4.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "ग्राम खिलचीपुर के हाल ख०न० 2238 पुराना ख०न० 1536 की मिसल हकीयत 1987, चकबन्दी सम्वत् 1994, मिसल बंदोबस्त सम्वत् 2015-2034, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009-2019 एवं 2031-2024, पर्चा चकबन्दी एवं मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 1990-2000, पर्चा चकबन्दी व मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2002-2023 की प्रमाणित सूचना " अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: एफ.13(1)(54)सूकाअ/2025/757 दिनांक 23.6.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 28.04.2025 में चाही गयी सूचना का संबंध भू०अभिलेख अनुभाग से होने के कारण पत्रांक 445-47 दिनांक 28.4.2025 से प्रभारी अधिकारी भू०अभिलेख को लिखा जाने पर प्रभारी अधिकारी भू०अभिलेख अनुभाग द्वारा बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 की सूचना नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नियमानुसार प्राप्त करने हेतु एवं बिन्दु संख्या 5, 6 की सूचना जिला अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं होने एवं बिन्दु संख्या 4 की सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर के कार्यालय से प्राप्त करने बाबत जरिये पत्रांक 2548 दिनांक 8.5.2025 से अपीलान्ट को लिखा जा चुका है। तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने पत्रांक 89 दिनांक 19.6.2025 से अवगत कराया कि बिन्दु संख्या 4 की सूचना (खसरा गिरदावरी सम्वत् 2018-19 कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त खसरा गिरदावरी को छोड़कर) उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जवाब में अंकित किया है।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 28.4.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना में से बिन्दु संख्या 4 की आंशिक सूचना तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है, शेष बिन्दु संख्या 5 व 6 की सूचना जिला अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 की सूचना नकल प्रकिया District Manual and Revenue Court manual के अनुरूप होने के कारण उक्त सूचना हेतु नियमानुसार नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकता है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <p style="text-align: right;">(काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर</p>